



2026:AHC:26913

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं. - 4612 सन् 2026

निर्मल किशोर

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 9 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : रामप्यारे लाल श्रीवास्तव, चन्द्र श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, निजी प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 3-अपर उपमंडल अधिकारी (न्यायिक), तहसील पडरौना, जिला कुशीनगर को वाद संख्या 637 सन् 2015 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी 201505440100059), (निर्मल किशोर बनाम जुगल किशोर और अन्य) को यू.पी.जेड.ए और एल.आर. अधिनियम की धारा 176 के तहत अराजी संख्या 65/0.368 से संबंधित निर्णय देने का निर्देश देने के लिए की गई एकमात्र प्रार्थना है, मौजा नुनियापट्टी नगर, टप्पा चौरा बड़गांव, परगना सिद्धुवा जोबाना, तहसील पडरौना, जिला कुशीनगर में निर्धारित अवधि के भीतर स्थित है।
4. उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
5. पक्षों के अधिवक्ता की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम निस्तारण किया जाता है जिसमें प्रतिवादी संख्या 3-अतिरिक्त उपमंडल अधिकारी (न्यायिक), तहसील पडरौना, जिला कुशीनगर को याचिकाकर्ता द्वारा दायर उपरोक्त मामले को सख्ती से कानून के अनुसार, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

फरवरी 5, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"